

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या— 3/एल-6-1-21/2018

/ डा० विनय कुमार सिंह, (वरीयता

क्रमांक—8400) चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी०), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक—6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय सज्जान में आता है या दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबावदेही स्वयं चिकित्सक की होगी जिसके विनियमन हेतु दावा नहीं करेंगे।

2. डा० विनय कुमार सिंह भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्वियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 3/एल-6-1-21/2018

852(3)

सरकार के संयुक्त सचिव
/स्वा०, पटना, दिनांक : २४/७/१९

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं० ह०), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० विनय कुमार सिंह का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/डा० विनय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, सहरसा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत्त, चिकित्सा पदाधिकारी का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा—२,३,८,९ एवं १८ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०३.७.२०१९
सरकार के संयुक्त सचिव